



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274616
CG-DL-E-20072026-274616

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3773]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948

No. 3773]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2026

का.आ. 3937(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण), आठवां संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985, की अनुसूची-1 के भाग क के शीर्षक "उर्वरकों के विनिर्देश" में, उपशीर्षक "1(ज) फोर्टिफाइड उर्वरक" में, क्रम संख्याक 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

"42 आयरन और मोलिब्डेनम से फोर्टिफाइड पोटैशियम स्कोनाइट

क्र.सं.	मापदंड	मूल्य
(1)	(2)	(3)
(i)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम	1.5
(ii)	भार के आधार पर जल में विलेय पोटेशियम(के2ओ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	23.0
(iii)	भार के आधार पर सोडियम (एनएसीएल के रूप में) का प्रतिशत, अधिकतम	3.5
(iv)	भार के आधार पर मैग्नीशियम (एमजी ओ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	11.0
(v)	भार के आधार पर सल्फेट सल्फर (एस के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	15.0
(vi)	भार के आधार पर आयरन (एफइ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	0.5
(vii)	भार के आधार पर मोलिब्डेनम (एम ओ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	0.02"

[फा. सं. 4-36/2026 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

टिप्पणः—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और संख्यांक का.आ. 3482 (अ) तारीख 29 जून, 2026 द्वारा उसे अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 16th July, 2026

S.O. 3937(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -

1.Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Eighth Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, in Schedule- I, in Part- A Specifications of Fertilisers, in sub-heading 1 (h) FORTIFIED FERTILISERS, after serial number 41 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely,-

“42. Potassium Schoenite fortified with Iron and Molybdenum

Sl. .No.	Parameter	Value
(1)	(2)	(3)
(i)	Moisture per cent. by weight, maximum	1.5
(ii)	Water soluble potassium (as K ₂ O) percent. by weight, minimum	23.0

(iii)	Sodium (as NaCl) , percent. by weight, maximum	3.5
(iv)	Magnesium (as Mg O) per cent by weight, minimum	11.0
(v)	Sulphate Sulphur as S per cent. by weight minimum	15.0
(vi)	Iron as Fe per cent by weight, minimum	0.5
(vii)	Molybdenum as Mo per cent. by weight, minimum-	0.02”.

[F. No.4-36/2026 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note:- The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide GSR. Number 758 (E) , dated 25th September,1985 and was last amended *vide* S.O. No.3482 (E) dated the 25th June,2026.